न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 225/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/408**
दायर दिनांक :– 31.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 07.04.2026**

01. मांगीलाल पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राजस्थान)
02. बस्तीराम पुत्र हरीकिशोर जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. राजूदेवी पत्नी सोमराज जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
04. शिवरतन पुत्र सोमराज जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
05. सोपारी पुत्र सोमराज जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
06. चूंकी विश्नोई पत्नी बंशीधर जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
07. बंशीधर पुत्र हरिकिशोर जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
08. सुरेश विश्नोई पुत्र बंशीधर जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
09. सवितासिंह पत्नी सुरेश विश्नोई जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. शंकरलाल पुत्र बरीबलराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. भंवरलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. बुधाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, घंटियाली
3. श्री मोहम्मद रफीक अधि. अ. सं. 2 ता 12

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 22/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 9 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 की संयुक्त

Satya...
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि के जमाबंदी खाते तो अलग–अलग दर्ज थे लेकिन भू–नक्शा में जमाबंदी खातों अनुसर तरमीम नहीं हो रखी थी। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 22/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है और प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है और खूंटे रोपे गये भूमि मे प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं बिना मौके की जाचं किये ही अपने ऑफिस में बैठे ही तरमीम प्रार्थी से बाले बाले एवं प्रार्थी को सूचित किये वगैर ही ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 22/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर की नक्शा लट्ठा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि माफिक इस्तदुआ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की तरमीम दुरूस्त की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 22/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का चाम्पासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2025 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 22/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का चाम्पासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2025 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते